रजिस्टर्ड नं0 HP/13/SML-2008.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, शनिवार, 7 जून, 2008 / 17 ज्येष्ठ, 1930

हिमाचल प्रदेश सरकार

विधि विभाग

अधिसूचनाएं

शिमला–2, 16 जनवरी, 2008

संख्या : एल.एल.आर.–ए(3)–1 / 2002.– हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम,1987 (1987 का 39) की धारा 6 की उप धारा (5) और (6) के साथ पठित धारा 28 की उप धारा (2) के खण्ड़(ड़) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से, इस विभाग की अधिसूचना संख्या एल.एल.आर.–बी(14)–4 / 96 तारीख 27.9.1997 द्वारा अधिसूचित और राजपत्र, हिमाचल प्रदेश (साधारण) में तारीख 21.3.1998 को प्रकाशित हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण,लिपिक (वर्ग–।।।, अराजपत्रित),भर्ती और प्रोन्नति नियम, 1997 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:–

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.–** (।) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लिपिक (वर्ग–।।।,अराजपत्रित), भर्ती और प्रोन्नति (प्रथम संशोधन) नियम, 2008 है।

(2) ये नियम राजपत्र हिमाचल प्रदेश में इनके प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत होंगे।

2. नियम 10 का संशोधन.– हिमावल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लिपिक (वर्ग–।।। अराजपत्रित),भर्ती और प्रोन्नति नियम, 1997(जिसे इसमें इसके पश्चात, "उक्त नियम" निर्दिष्ट किया गया है) के उपाबन्ध क की स्तम्भ संख्या 10 के सामने विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित रखे जाएगे, अर्थात :–

(i) 10 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा,

(ii) AQ 90 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा या संविदा आधार पर, 90 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा या संविदा आधार पर के स्थान पर, ऐसा न होने पर हिमाचल प्रदेश के किसी भी सरकारी / अर्धसरकारी / न्यायालय से सैकेण्डमैन्ट द्वारा।"

3. नियम 15–क का अन्तःस्थापन.– उक्त नियमों की विद्यमान स्तम्भ संख्या 15 के पश्चात् निम्नलिखित नियम 15–क अन्तः स्थापित किया जाएगा, अर्थातः–

"15–क" संविदा आधार पर पद पर नियुक्ति हेतु चयन और नियुक्ति के निबन्धन और शर्ते :–

(क) संविदा आधार पर चयन, भर्ती अभिकरण के माध्यम से, या विभागीय भर्ती समिति द्वारा, जैसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा समय–समय पर गठित की जाए, किया जाएगा।

(ख) सदस्य सचिव रिक्त पदों को संविदा के आधार पर भरने के लिए कार्यकारी अध्यक्ष का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् अध्यपेक्षा को प्रदेश में नियोजनालयों के समक्ष रखेगा और दो अग्रणी समाचार पत्रों में भी उसे विज्ञापित करवाएगा और विहित अर्हताओं और इन नियमों में यथाविहित अन्य पात्रता शर्तों को पूरा करने वाले अभ्यर्थियों से आवेदन आमन्त्रित करेगा।

(ग) संविदा के आधार पर नियुक्ति के लिए चयनित अभ्यर्थी प्रारम्भ में एक वर्ष के लिए नियुक्त किया जाएगा और ऐसे नियुक्त व्यक्तियों की सेवाओं को अपेक्षा आधार पर बढाया जाएगा और ऐसे नियुक्त व्यक्तियों के कार्य, आचरण और कार्यक्षमता के उच्च स्तर के अध्यधीन इस समय अवधि को और बढाया जा सकेगा। तथापि उनकी सेवाएं संविदा अवधि के पूर्ण होने से पूर्व, यदि उनकी सेवाएं कार्य की अनुपलब्धता के कारण अपेक्षित नही हैं, एक मास का नोटिस जारी करके या नोटिस के बदले में एक मास का वेतन देकर समाप्त की जा सकेगी, जिसके लिए पहले आया अन्त में जाएगा (फर्स्ट कम लास्ट गो) के सिद्धान्त का अनुसरण किया जाएगा। उनकी सेवायें संविदा अवधि के दौरान भी समाप्त की जा सकेंगी।यदि उनका आचरण और कार्य सन्तोषप्रद नहीं पाया जाता है, जिसके लिए सुनवाई का सम्यक् अवसर दिए जाने के लिए नोटिस दिया जाएगा।

(घ) संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों को एकमुश्त नियत मासिक मजदूरी जैसी सरकार द्वारा समय–समय पर नियत की जाए, संदत्त की जाएगी।

(ड.) इन नियमों के अधीन इस प्रकार चयनित संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को विभाग में सरकारी नौकरी (जॉब) में नियमितिकरण या स्थाई आमेलन का दावा करने का कोई अधिकार नही होगा।

(च) (i) नियुक्ति समाप्त किए जाने के लिए दायी होगी यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य / आचरण संतोषप्रद नहीं पाया जाता है।

(ii) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा। यह अवकाश एक वर्ष तक संचित किया जा सकेगा। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को किसी भी प्रकार का अन्य कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा। वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 ईत्यादि के लिए भी हकदार नहीं होगा / होगी केवल प्रसूति अवकाश नियमानुसार दिया जाएगा।

(iii) नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना कर्त्तव्यों से अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा की समाप्ति (पर्यावसान) हो जाएगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कर्त्तव्य से अनुपस्थिति की अवधि के लिए मजदूरी का हकदार नहीं होगा।

(iv) चयनित अभ्यर्थी को सरकारी / रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा। बारह सप्ताह से अधिक समय से गर्भवती महिला प्रसव होने तक, अस्थाई तौर पर अनुपयुक्त समझी जाएगी। महिला अभ्यर्थियों का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी / व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाएगा।

(v) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का यदि पदीय कर्त्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी नियमित कर्मचारी सदस्यों को लागू है, यात्रा भत्ते / दैनिक भत्ते का हकदार होगा / होगी।

(vi) नियुक्ति के लिए चयन के पश्चात् अभ्यर्थी को इन नियमों से संलग्न उपाबन्ध "ख" के अनुसार करार हस्ताक्षरित करना होगा।

आदेश द्वारा,
जे0 एन0 बारोवालिया,
विधि परामर्शी–एव–ं प्रधान सचिव।

——————

उपाबन्ध्बन्ध–"ख"

______________________________और सदस्य सचिव हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, शिमला के मध्य निष्पादित की जाने वाली संविदा / करार का प्रारूप

यह करार श्रीमति / श्री_____________________________________पुत्र / पुत्री श्री____निवासी_______________________________________ ______________संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (जिसे इसमें इसके पश्चात् "प्रथम पक्षकार"कहा गया है) और सदस्य सचिव, हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (जिसे इसमें इसके पश्चात् "द्वितीय पक्षकार" कहा गया है) के मध्य आज तारीख ______________को किया गया।

"द्वितीय पक्षकार" ने उपरोक्त "प्रथम पक्षकार" को लगाया है और "प्रथम पक्षकार" ने लिपिक के रूप में संविदा आधार पर निम्नलिखित निबन्धन और शर्तों पर सेवा करने के लिए सहमति दी है :–

1. यह कि "प्रथम पक्षकार" लिपिक के रूप में____________से प्रारम्भ होने और ______________________को समाप्त होने वाले दिन तक एक वर्ष की अवधि के लिए द्वितीय पक्षकार की सेवा में रहेगा। यह विनिर्दिष्ट रूप से दोनों पक्षकारों द्वारा करार पाया गया है कि "प्रथम पक्षकार" और "द्वितीय पक्षकार" के मध्य करार, आखिरी कार्य दिवस को अर्थात् _________________________दिन को स्वयंमेव ही पर्यवसित (समाप्त) समझा जाएगा और द्वितीय पक्षकार द्वारा प्रथम पक्षकार को इस प्रभाव की सूचना जारी करना आवश्यक नही होगा।

2. प्रथम पक्षकार को एकमुश्त नियत मासिक मजदूरी, जैसी सरकार द्वारा समय–समय पर नियत की जाए, संदत्त की जाएगी।

3. इन नियमों के अधीन इस प्रकार चयनित प्रथम पक्षकार को सरकारी नौकरी (जॉब) में नियमितिकरण या स्थाई आमेलन का दावा करने का कोई अधिकार नहीं होगा।

4. नियुक्ति समाप्त किए जाने के लिए दायी होगी यदि प्रथम पक्षकार का कार्य / आचरण संतोषप्रद नहीं पाया जाता है।

5. प्रथम पक्षकार एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा यह अवकाश एक वर्ष तक संचित किया जा सकेगा। प्रथम पक्षकार को किसी भी प्रकार का अन्य कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा। प्रथम पक्षकार चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 ईत्यादि के लिए भी हकदार नहीं होगा। महिला कर्मचारियों को प्रसूति अवकाश नियमानुसार दिया जाएगा।

6. प्रथम पक्षकार की नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना कर्त्तव्यों से अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा की समाप्ति (पर्यावसान) हो जाएगा। प्रथम पक्षकार कर्त्तव्य से अनुपस्थिति की अवधि के लिए मजदूरी का हकदार नहीं होगा।

7. प्रथम पक्षकार को सरकारी / रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा। महिला अभ्यर्थियों की दशा में, बारह सप्ताह से अधिक समय की गर्भावस्था प्रसव होने तक, उसे अस्थाई तौर पर अनुपयुक्त बना देगी। महिला अभ्यर्थियों का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी / व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाएगा।

8. प्रथम पक्षकार का यदि पदीय कर्त्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी नियमित कर्मचारी सदस्यों को लागू है, यात्रा भत्ते / दैनिक भत्ते का हकदार होगा।

इसके साक्ष्यस्वरूप पक्षकारों ने निम्नलिखित साक्षियों की उपस्थिति में उपरोक्त लिखित तारीख को इस विलेख पर अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं।

हस्ताक्षर––––––––––

प्रथम पक्षकार

हस्ताक्षर––––––––––

द्वितीय पक्षकार

साक्षी :–

1.

2.

[Authoritative English Text of the Department Notification No.LLR-A(3)-1/2002,dated 16th January, 2008 as required under Clause (3) of article 348 of the Constitution of India].

LAW DEPARTMENT

NOTIFICATIONS

Shimla-171 002, the 16th January, 2008

No.LLR-A(3)-1/2002.— In exercise of the powers conferred by clause (e) of sub- section (2) of Section 28 read with sub sections (5) and (6) of section 6 of the Legal Services Authorities Act,1987(Act No.39 of 1987),the Governor, Himachal Pradesh in consultation with the Chief Justice of the Himachal Pradesh High Court, is pleased to make the following rules further to amend the Himachal Pradesh State Legal Services Authority,Clerk (Class-III, Non-Gazetted), Recruitment and Promotion Rules, 1997 notified vide this Department Notification No. LLR B(14)

4/96, dated 27.9.1997 and published in the Rajpatra Himachal Pradesh (Ordinary) dated 21.3.1998 , namely :-

1. *Short title and commencement.*— (1) These rules may be called the Himachal Pradesh State Legal Services Authority,Clerk (Class-III,Non-Gazetted) Recruitment and Promotion (First Amendment) Rules, 2008.

(2) These rules shall come into force from the date of their publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.

2. *Amendment of rule 10.*— For the provisions against Column No.10 of Annexure –A to the Himachal Pradesh State Legal Services Authority,Clerk (Class-III,Non Gazetted)Recruitment and Promotion Rules,1997(hereinafter referred to as the "said rules")the following shall be substituted, namely : -

(i) 10% by promotion,

(ii) 90% by direct recruitment or on contract basis, in place of 90% by direct recruitment or on contract basis failing which by secondment from any Government /Semi Government/Courts of Himachal Pradesh.

3. *Insertion of rule 15-A* .— After the existing Column No. 15 of the said rules the following rule 15-A shall be inserted , namely :-

"15-A." Selection for appointment to the post on contract basis and terms and conditions of appointment –

(a) Selection on contract basis shall be made through the recruiting agency or by the Departmental Recruitment Committee as may be constituted by the competent authority from time to time.

(b) The Member Secretary, after obtaining the approval of the Executive Chairman to fill up the vacant posts on contract basis shall place the requisition with the Employment Exchanges in the Pradesh and also advertise the posts in two leading news papers and invite applications from the candidates having the prescribed qualifications and fulfilling the other eligibility conditions as prescribed in these rules.

(c) The candidates selected for appointment on contract basis shall be initially appointed for one year and this time period may be extended depending upon the requirement of the services of such appointees and furthersubject to high standard of work, conduct and performance of such appointees.However, their services may be terminated even prior to the completion of the contract period by issuing of one month notice or payment of one month wages in lieu of the notice if their services are not required due to non availability of work for which principle of first come last go shall be followed. Their services may also be terminated during the contract period if their conduct and performance is not found satisfactory for which notice with due opportunity of being heard shall be given.

(d) The contract appointees shall be paid a lump-sum fixed monthly wages as fixed by the Government from time to time.

(e) The contract appointee so selected under these rules shall not have any right to claim regularization or permanent absorption in Government job in the Department .

(f) (i) The appointment is liable to be terminated in case the performance/ conduct of the contract appointee is not found satisfactory.

(ii) The contract appointee shall be entitled for one day casual leave after putting one month service.This leave can be accumulated upto one year. No leave of any other kind is admissible to the contract appointee. He/She shall not be entitled for Medical Reimbursement & LTC etc. Only Maternity Leave shall be given as per rules.

(iii) The absence from the duties without the approval of the controlling Officer shall automatically lead to the termination of the contract. Contract appointee shall not be entitled for wages for the period of absence from duty.

(iv) The selected candidate shall submit a certificate of his/her fitness from a Government/ Registered Medical Practitioner. Women candidate, pregnant beyond 12 weeks shall be considered temporarily unfit till the confinement is over. The women candidates shall be reexamined for fitness by an authorized Medical Officer/ Practitioner.

(v) The contract appointee shall be entitled to TA/DA if he/she is required to go on tour in connection with official duties at the same rate as applicable to the regular staff members.

(vi) After the selection of a candidate for appointment, he/she shall sign an agreement as per **ANNEXURE-"B"** appended to these rules."

By order,
J.N.BAROWALIA,
L.R.-cum-Principal Secretary.

ANNEXURE -"B"

FORM OF CONTRACT/AGREEMENT TO BE EXECUTED BETWEEN THE AND THE MEMBER SECRETARY, H.P. STATE LEGAL SERVICES AUTHORITY,SHIMLA.

This Agreement is made on this _____day of_____in the year_____ between Smt./Shri_____S/O /D/O Shri_____ resident of_____Contract appointee (hereinafter referred to as the "FIRST PARTY"), and the Member Secretary, H.P. State Legal Services Authority (hereinafter referred to as the "SECOND PARTY").

WHEREAS, the SECOND PARTY has engaged the FIRST PARTY and FIRST PARTY has agreed to serve as a Clerk on contract basis on the following terms and conditions : -

1. That the FIRST PARTY shall remain in the service of the SECOND PARTY as a Clerk for a period of 1 year commencing on the day of _____and ending on the day of _____ . It is specifically agreed upon by both the parties that the agreement

between the FIRST PARTY and the SECOND PARTY shall ipso-facto stand terminated on the last working day i.e. on _____ and the serving of notice to this effect to the FIRST PARTY by the SECOND PARTY shall not be necessary.

2. The FIRST PARTY shall be paid a lump-sum fixed monthly wages as fixed by the Government from time to time.

3. The FIRST PARTY so selected under these rules shall not have any right to claim regularization or permanent absorption in the Government job.

4. The appointment is liable to be terminated in case the performance/ conduct of the FIRST PARTY is not found satisfactory.

5. The FIRST PARTY shall be entitled for one day casual leave after putting one month service. This leave can be accumulated upto one year. No leave of any other kind is admissible to the FIRST PARTY. The FIRST PARTY shall not be entitled for Medical Reimbursement & LTC etc. The Maternity Leave shall be given to the female employees as per rules.

6. The absence from duties of the FIRST PARTY without the approval of the controlling officer shall automatically lead to the termination of the contract . The FIRST PARTY shall not be entitled for wages for the period of absence from duty.

7. The FIRST PARTY shall submit a certificate of his/her fitness from a Government/Registered Medical Practitioner. The women candidate, pregnant beyond 12 weeks shall be considered temporarily unfit till the confinement is over. The women candidates shall be re-examined for the fitness by any authorized Medical Officer/Practitioner.

8. The FIRST PARTY shall be entitled to TA/DA if he/she is required to go on tour in connection with official duties at the same rate as applicable to regular staff members.

In witness whereof the parties hereto have signed this deed on the date first above written in the presence of the following witnesses : -

Signature_____

-------- (FIRST PARTY)

Signature _____

------ (SECOND PARTY)

WITNESSES : - 1.

2.

शिमला–2, 16 जनवरी, 2008

संख्याः एल.एल.आर.–ए(3)–1 / 2002.– हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम,1987 (1987 का 39) की धारा 6 की उप धारा (5) और (6) के साथ पठित धारा 28 की उप धारा (2) के खण्ड़(ड़) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से, इस विभाग की अधिसूचना संख्या एल.एल.आर.–बी(14)–4 / 96 तारीख 27.9.1997 द्वारा अधिसूचित और राजपत्र, हिमाचल प्रदेश (साधारण) में तारीख 7–3–1998 को प्रकाशित हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण,वरिष्ठ सहायक (वर्ग–।।।, अराजपत्रित),लिपिक वर्गीय सेवाएं, भर्ती और प्रोन्नति नियम, 1997 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :–

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.–** (।) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, वरिष्ठ सहायक (वर्ग–।।।, अराजपत्रित),लिपिक वर्गीय सेवाएं, भर्ती और प्रोन्नति (प्रथम संशोधन) नियम, 2008 है।

(2) ये नियम राजपत्र हिमाचल प्रदेश में इनके प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत होंगे ।

2. **नियम 10 का संशोधन**.– हिमावल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, वरिष्ठ सहायक(वर्ग–।।। अराजपत्रित),लिपिक वर्गीय सेवाएं, भर्ती और प्रोन्नति नियम, 1997 (जिसे इसमें इसके पश्चात, "उक्त नियम" निर्दिष्ट किया गया है) के उपाबन्ध क की स्तम्भ संख्या 10 के सामने विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात :–

'शत प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा, ऐसा न होने पर सैकेण्डमैन्ट द्वारा,दोनों के न होने पर सीधी भर्ती द्वारा या संविदा आधार पर ।"

3. **नियम 15–क का अन्तःस्थापन.–** उक्त नियमों की विद्यमान स्तम्भ संख्या 15 के पश्चात् निम्नलिखित नियम 15–क अन्तः स्थापित किया जाएगा, अर्थातः–

"15–क" संविदा आधार पर पद पर नियुक्ति हेतू चयन और नियुक्ति के निबन्धन और शर्ते :

(क) संविदा आधार पर चयन, भर्ती अभिकरण के माध्यम से, या विभागीय भर्ती समिति द्वारा, जैसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा समय–समय पर गठित की जाए, किया जाएगा ।

(ख) सदस्य सचिव रिक्त पदों को संविदा के आधार पर भरने के लिए कार्यकारी अध्यक्ष का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् अध्यपेक्षा को प्रदेश में नियोजनालयों के समक्ष रखेगा और दो अग्रणी समाचार पत्रों में भी उसे विज्ञापित करवाएगा और विहित अर्हताओं और इन नियमों में यथाविहित अन्य पात्रता शर्तों को पूरा करने वाले अभ्यर्थियों से आवेदन आमन्त्रित करेगा ।

(ग) संविदा के आधार पर नियुक्ति के लिए चयनित अभ्यर्थी प्रारम्भ में एक वर्ष के लिए नियुक्त किया जाएगा और ऐसे नियुक्त व्यक्तियों की सेवाओं को अपेक्षा आधार पर बढाया जाएगा और ऐसे नियुक्त व्यक्तियों के कार्य,आचरण और कार्यक्षमता के उच्च स्तर के अध्यधीन इस समय अवधि को और बढाया जा सकेगा। तथापि उनकी सेवाएं संविदा अवधि के पूर्ण होने से पूर्व, यदि उनकी सेवाएं कार्य की अनुपलब्धता के कारण अपेक्षित नही हैं, एक मास का नोटिस जारी करके या नोटिस के बदले में एक मास का वेतन देकर समाप्त की जा सकेगी, जिसके लिए पहले आया अन्त में जाएगा(फर्स्ट कम लास्ट गो) के सिद्धान्त का अनुसरण किया जाएगा। उनकी सेवायें संविदा अवधि के दौरान भी समाप्त की जा सकेंगी। यदि उनका आचरण और कार्य सन्तोषप्रद नहीं पाया जाता है, जिसके लिए सुनवाई का सम्यक् अवसर दिए जाने के लिए नोटिस दिया जाएगा ।

(घ) संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों को एकमुश्त नियत मासिक मजदूरी जैसी सरकार द्वारा समय–समय पर नियत की जाए, संदत्त की जाएगी ।

(ड.) इन नियमों के अधीन इस प्रकार चयनित संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को विभाग में सरकारी नौकरी(जॉब) में नियमितिकरण या स्थाई आमेलन का दावा करने का कोई अधिकार नही होगा ।

(च) (i) नियुक्ति समाप्त किए जाने के लिए दायी होगी यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य / आचरण संतोषप्रद नहीं पाया जाता है ।

(ii) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा। यह अवकाश एक वर्ष तक संचित किया जा सकेगा। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को किसी भी प्रकार का अन्य कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा। वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 ईत्यादि के लिए भी हकदार नहीं होगा / होगी केवल प्रसूति अवकाश नियमानुसार दिया जाएगा।

(iii) नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना कर्त्तव्यों से अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा की समाप्ति (पर्यावसान) हो जाएगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कर्त्तव्य से अनुपस्थिति की अवधि के लिए मजदूरी का हकदार नहीं होगा ।

(iv) चयनित अभ्यर्थी को सरकारी / रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा। बारह सप्ताह से अधिक समय से गर्भवती महिला प्रसव होने तक, अस्थाई तौर पर अनुपयुक्त समझी जाएगी। महिला अभ्यर्थियों का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी / व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाएगा ।

(v) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का यदि पदीय कर्त्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी नियमित कर्मचारी सदस्यों को लागू है, यात्रा भत्ते / दैनिक भत्ते का हकदार होगा / होगी ।

(vi) नियुक्ति के लिए चयन के पश्चात् अभ्यर्थी को इन नियमों से संलग्न उपाबन्ध "ख" के अनुसार करार हस्ताक्षरित करना होगा ।

आदेश द्वारा,
जे0 एन0 बारोवालिया,
विधि परामर्शी–एवं–प्रधान सचिव।

उपाबन्ध–"ख"

_____और सदस्य सचिव हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, शिमला के मध्य निष्पादित की जाने वाली संविदा / करार का प्रारूप

यह करार श्रीमति / श्री_____पुत्र / पुत्री श्री_____निवासी_____ _____ संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (जिसे इसमें इसके पश्चात् "प्रथम पक्षकार"कहा गया है) और सदस्य सचिव, हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (जिसे इसमें इसके पश्चात् "द्वितीय पक्षकार" कहा गया है) के मध्य आज तारीख _____ को किया गया ।

"द्वितीय पक्षकार" ने उपरोक्त "प्रथम पक्षकार" को लगाया है और "प्रथम पक्षकार" ने वरिष्ठ सहायक के रूप में संविदा आधार पर निम्नलिखित निबन्धन और शर्तों पर सेवा करने के लिए सहमति दी है :–

1. यह कि "प्रथम पक्षकार" वरिष्ठ सहायक के रूप में _____ से प्रारम्भ होने और_____को समाप्त होने वाले दिन तक एक वर्ष की अवधि के लिए द्वितीय पक्षकार की सेवा में रहेगा । यह विनिर्दिष्ट रूप से दोनों पक्षकारों द्वारा करार पाया गया है कि "प्रथम पक्षकार" और "द्वितीय पक्षकार" के मध्य करार, आखिरी कार्य दिवस को अर्थात् _____दिन को स्वयंमेव ही पर्यवसित (समाप्त) समझा जाएगा और द्वितीय पक्षकार द्वारा प्रथम पक्षकार को इस प्रभाव की सूचना जारी करना आवश्यक नही होगा।

2. प्रथम पक्षकार को एकमुश्त नियत मासिक मजदूरी, जैसी सरकार द्वारा समय–समय पर नियत की जाए, संदत्त की जाएगी ।

3. इन नियमों के अधीन इस प्रकार चयनित प्रथम पक्षकार को सरकारी नौकरी (जॉब) में नियमितिकरण या स्थाई आमेलन का दावा करने का कोई अधिकार नहीं होगा ।

4. नियुक्ति समाप्त किए जाने के लिए दायी होगी यदि प्रथम पक्षकार का कार्य / आचरण संतोषप्रद नहीं पाया जाता है ।

5. प्रथम पक्षकार एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा । यह अवकाश एक वर्ष तक संचित किया जा सकेगा । प्रथम पक्षकार को किसी भी प्रकार का अन्य कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा । प्रथम पक्षकार चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 ईत्यादि के लिए भी हकदार नहीं होगा । महिला कर्मचारियों को प्रसूति अवकाश नियमानुसार दिया जाएगा ।

6. प्रथम पक्षकार की नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना कर्त्तव्यों से अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा की समाप्ति (पर्यावसान) हो जाएगा । प्रथम पक्षकार कर्त्तव्य से अनुपस्थिति की अवधि के लिए मजदूरी का हकदार नहीं होगा ।

7. प्रथम पक्षकार को सरकारी / रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा। महिला अभ्यर्थियों की दशा में, बारह सप्ताह से अधिक समय की गर्भावस्था प्रसव होने तक, उसे अस्थाई तौर पर अनुपयुक्त बना देगी। महिला अभ्यर्थियों का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी / व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाएगा ।

8. प्रथम पक्षकार का यदि पदीय कर्त्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी नियमित कर्मचारी सदस्यों को लागू है, यात्रा भत्ते / दैनिक भत्ते का हकदार होगा ।

इसके साक्ष्यस्वरूप पक्षकारों ने निम्नलिखित साक्षियों की उपस्थिति में उपरोक्त लिखित तारीख को इस विलेख पर अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं।

हस्ताक्षर ——————————

प्रथम पक्षकार

हस्ताक्षर ——————————

द्वितीय पक्षकार

साक्षी :–

1-

2-

[Authoritative English Text of Department Notification No. LLR-A (3)-1/2002 dated 16th January,2008 as required under clause (3) of article 348 of the Constitution of India.]

Shimla-171 002, the 16th January, 2008

No.LLR-A(3)-1/2002.— In exercise of the powers conferred by clause (e) of sub- section (2) of section 28 read with sub sections (5) and (6) of section 6 of the Legal Services Authorities Act,1987(Act No.39 of 1987), the Governor, Himachal Pradesh in consultation with the Chief Justice of the Himachal Pradesh High Court, is pleased to make the following rules further to amend the Himachal Pradesh State Legal Services Authority, Sr.Assistant(Class-III, Non-Gazetted), Ministerial services, Recruitment and Promotion Rules,1997 notified vide this Department Notification No. LLRB(14)-4/96 dated 27.9.1997 and published in the Rajpatra Himachal Pradesh (ordinary) dated 7.3.1998, namely : ---

1. *Short title and commencement* .— (1) These rules may be called the Himachal Pradesh State Legal Services Authority, Sr.Assistant (Class-III, Non-Gazetted), Ministerial services, Recruitment and Promotion (First Amendment) Rules, 2008.

(2) These rules shall come into force from the date of their publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.

2. *Amendment of rule 10.*— For the provisions against Column No.10 of Annexure –A to the Himachal Pradesh State Legal Services Authority,Sr.Assistant(Class-III,Non-Gazetted), Ministerial services Recruitment and Promotion Rules, 1997 (hereinafter referred to as the "said rules") the following shall be substituted, namely : -

"100% by promotion failing which by secondment,failing both by direct recruitment or on contract basis."

3. *Insertion of rule 15-A.***—** After the existing Column No. 15 of the said rules the following rule 15-A shall be inserted , namely :-

"15-A." Selection for appointment to the post on contract basis and terms and conditions of appointment :

(a) Selection on contract basis shall be made through the recruiting agency or by the Departmental Recruitment Committee as may be constituted by the competent authority from time to time.

(b) The Member Secretary, after obtaining the approval of the Executive Chairman to fill up the vacant posts on contract basis shall place the requisition with the Employment Exchanges in the Pradesh and also advertise the posts in two leading news papers and invite applications from the candidates having the prescribed qualifications and fulfilling the other eligibility conditions as prescribed in these rules.

(c) The candidates selected for appointment on contract basis shall be initially appointed for one year and this time period may be extended depending upon the requirement of the services of such appointees and further subject to high standard of work, conduct and performance of such appointees. However,their services may be terminated even prior to the completion of the contract period by issuing of one month notice or payment of one month wages in lieu of the notice if their services are not required due

to non availability of work for which principle of first come last go shall be followed. Their services may also be terminated during the contract period if their conduct and performance is not found satisfactory for which notice with due opportunity of being heard shall be given.

(d) The contract appointees shall be paid a lump-sum fixed monthly wages as fixed by the Government from time to time.

(e) The contract appointee so selected under these rules shall not have any right to claim regularization or permanent absorption in Government job in the Department.

(f) (i) The appointment is liable to be terminated in case the performance/ conduct of the contract appointee is not found satisfactory.

(ii) The contract appointee shall be entitled for one day casual leave after putting one month service. This leave can be accumulated upto one year. No leave of any other kind is admissible to the contract appointee. He/She shall not be entitled for Medical Reimbursement & LTC etc. Only Maternity Leave shall be given as per rules.

(iii) The absence from the duties without the approval of the controlling Officer shall automatically lead to the termination of the contract. Contract appointee shall not be entitled for wages for the period of absence from duty.

(ii) The selected candidate shall submit a certificate of his/her fitness from a Government/ Registered Medical Practitioner. Women candidate, pregnant beyond 12 weeks shall be considered temporarily unfit till the confinement is over.The women candidates shall be reexamined for fitness by an authorized Medical Officer/Practitioner.

(v) The contract appointee shall be entitled to TA/DA if he/she is required to go on tour in connection with official duties at the same rate as applicable to the regular staff members.

(vi) After the selection of a candidate for appointment, he/she shall sign an agreement as per **ANNEXURE-"B"** appended to these rules."

By order,
J.N.BAROWALIA,
L.R.-cum-Principal Secretary.

ANNEXURE -"B"

FORM OF CONTRACT/AGREEMENT TO BE EXECUTED BETWEEN THE AND THE MEMBER SECRETARY, H.P. STATE LEGAL SERVICES AUTHORITY,SHIMLA.

This Agreement is made on this _____ day of _____ in the year _____ between Smt./Shri_____S/O/D/O Shri _____ resident of _____Contract appointee (hereinafter referred to as the "FIRST PARTY"), and the Member Secretary, H.P. State Legal Services Authority (hereinafter referred to as the "SECOND PARTY").

WHEREAS, the SECOND PARTY has engaged the FIRST PARTY and FIRST PARTY has agreed to serve as a Sr.Assistant on contract basis on the following terms and conditions :

1. That the FIRST PARTY shall remain in the service of the SECOND PARTY as a Sr.Assistant for a period of 1 year commencing on the day of _____and ending on the day of _____ . It is specifically agreed upon by both the parties that the agreement between the FIRST PARTY and the SECOND PARTY shall ipso-facto stand terminated on the last working day i.e. on _____ and the serving of notice to this effect to the FIRST PARTY by the SECOND PARTY shall not be necessary.

2. The FIRST PARTY shall be paid a lump-sum fixed monthly wages as fixed by the Government from time to time.

3. The FIRST PARTY so selected under these rules shall not have any right to claim regularization or permanent absorption in the Government job.

4. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the FIRST PARTY is not found satisfactory.

5. The FIRST PARTY shall be entitled for one day casual leave after putting one month service. This leave can be accumulated upto one year. No leave of any other kind is admissible to the FIRST PARTY. The FIRST PARTY shall not be entitled for Medical Reimbursement & LTC etc. The Maternity Leave shall be given to the female employees as per rules.

6. The absence from duties of the FIRST PARTY without the approval of the controlling officer shall automatically lead to the termination of the contract . The FIRST PARTY shall not be entitled for wages for the period of absence from duty.

7. The FIRST PARTY shall submit a certificate of his/her fitness from a Government/ Registered Medical Practitioner. The women candidate, pregnant beyond 12 weeks shall be considered temporarily unfit till the confinement is over. The women candidates shall be re-examined for the fitness by any authorized Medical Officer/Practitioner.

8. The FIRST PARTY shall be entitled to TA/DA if he/she is required to go on tour in connection with official duties at the same rate as applicable to regular staff members.

In witness whereof the parties hereto have signed this deed on the date first above written in the presence of the following witnesses :

Signature_____

-------- (FIRST PARTY)

Signature _____

------ (SECOND PARTY)

WITNESSES : 1.

2.

ब अदालत इं अनुपम कुमार तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी लाहौल, स्थान केलांग, जिला लाहौल एवं स्पिति (हि0 प्र0)

श्री जितेन्द्र बौद्ध पुत्र स्वर्गीय श्री दोरजे, गांव प्यूकर, तहसील लाहौल, जिला लाहौल स्पिति ।

बनाम

आम जनता

विषय.–– ग्राम पंचायत केलांग के जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर में नाम दर्ज करने बारे ।

श्री जितेन्द्र बौद्ध पुत्र स्वर्गीय श्री दोरजे, गांव प्यूकर, तहसील लाहौल, जिला लाहौल स्पिति ने शपथ–पत्र व प्रार्थना–पत्र सहित आवेदन किया है कि उनका नाम सरकारी कागजात में जितेन्द्र बौद्ध दर्ज है जो कि उनका सही नाम है परन्तु ग्राम पंचायत बरबोग के जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर व ग्राम राजस्व अधिकारी बरबोग के राजस्व अभिलेख में तन्दर दर्ज है जो कि गलत दर्ज है । इसके अतिरिक्त उनके पुत्र का नाम सरकारी कागजात में रमेश बौद्ध दर्ज है, परन्तु ग्राम पंचायत बरबोग के जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर में छोइजंग दर्ज है जो कि गलत दर्ज है । अतः अब प्रार्थी राजस्व अभिलेख में व ग्राम पंचायत बरबोग के जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर में अपना नाम जितेन्द्र बौद्ध तथा जन्म तिथि 1944 तथा अपने पुत्र का ग्राम पंचायत बरबोग के जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर में रमेश बौद्ध जन्म तिथि 10–5–1971 दर्ज करवाना चाहते है ।

अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी हितबद्ध व्यक्ति को जितेन्द्र बौद्ध का नाम व जन्म तिथि 1944 ग्राम पंचायत बरबोग के जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर व ग्राम राजस्व अभिलेख में दुरूस्त करने तथा उनके पुत्र रमेश बौद्ध का नाम व जन्म तिथि 10–5–1971 को ग्राम पंचायत बरबोग के जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर में दुरूस्त करने सम्बन्धी कोई आपत्ति हो तो वे दिनांक 20–6–2008 को या उससे पहले अदालत हजा में अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है, तिथि समाप्ति के पश्चात् कोई भी उजर एतराज समायत नहीं होगा तथा नियमानुसार इस प्रार्थना–पत्र पर कार्यवाही की जाएगी।

आज दिनांक 17–5–2008 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ ।

मोहर ।

इं अनुपम कुमार,
तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी लाहौल,
तह0 केलांग, जिला लाहौल–स्पिति (हि0 प्र0)।

————————

ब अदालत इं अनुपम कुमार तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी लाहौल, स्थान केलांग, जिला लाहौल एवं स्पिति (हि0 प्र0)

श्री वीर सिंह पुत्र श्री टशी छेरिंग, गांव व डाकधर शांशा, तहसील लाहौल, जिला लाहौल स्पिति ।

बनाम

आम जनता

विषय.–– ग्राम पंचायत शांशा के जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर में नाम दर्ज करने बारे ।

श्री वीर सिंह पुत्र श्री टशी छेरिंग, गांव व डाकघर शांशा, तहसील लाहौल, जिला लाहौल स्पिति ने शपथ–पत्र व प्रार्थना–पत्र सहित आवेदन किया है कि वह किसी कारण वश अपनी धर्मपत्नी का श्री सोनम डोलमा का नाम ग्राम पंचायत शांशा के जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज नहीं कर सका था, जिसे अब दर्ज करवाना चाहते है ।

अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी हितबद्ध व्यक्ति को श्री वीर सिंह के धर्मपत्नी श्रीमती सोनम डोलमा का नाम ग्राम पंचायत शांशा के जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करने सम्बन्धी कोई आपत्ति हो तो वे दिनांक 20–6–2008 को या उससे पहले किसी भी कार्य दिवस को अदालत हजा में अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है, तिथि समाप्ति के पश्चात् कोई भी उजर एतराज समायत नहीं होगा तथा नियमानुसार इस प्रार्थना–पत्र पर कार्यवाही की जाएगी।

आज दिनांक 17–5–2008 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ ।

मोहर ।

इं अनुपम कुमार,
तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी लाहौल,
तह0 केलांग, जिला लाहौल–स्पिति (हि0 प्र0)।

———————

ब अदालत श्री राम लच्छ नेगी, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप–तहसील ननखरी, जिला शिमला (हि0प्र0)

विषय.––मिसल तकसीम संख्या 03 / 06 व 4 / 06 चक मंढोली, उप–तहसील ननखरी, जिला शिमला (हि0 प्र0)।

श्री गुदडू पुत्र श्री भदरु, निवासी ग्राम औंड़ी, उप–तहसील ननखरी, जिला शिमला (हि0 प्र0)

बनाम

1. मोहन लाल पुत्र श्रीमती रुकमणी, निवासी औंड़ी, उप–तहसील ननखरी हालावाद, ग्राम निवासी खरगा, डाकघर खरगा, तहसील निरमण्ड, जिला कल्लू (हि0 प्र0)।

2. पिंगला देवी पुत्री श्रीमती रुकमणी, निवासी औंड़ी, उप–तहसील ननखरी हालावाद, ग्राम खरगा, तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)।

3. मीरा देवी पुत्री श्री फिफडू, निवासी औंड़ी हालावाद, पत्नी श्री पिंकू राम, ग्राम भूट्टी, तहसील कुमारसैन, जिला शिमला।

4. ऊषा देवी पुत्री श्री दासू राम, निवासी औंड़ी हालावाद, पत्नी शिशू पाल, गांम भूट्टी, तहसील कुमारसैन, जिला शिमला।

5. लसी देवी पुत्री श्री दासू, निवासी औंड़ी हालावाद, ग्राम कराहा, उप–तहसील ननखरी, जिला शिमला (हि0 प्र0) . . प्रतिवादीगण।

मुकद्दमा उनवान वाला में प्रतिवादीगण मोहन लाल, पिंगला देवी, मीरा देवी, ऊषा देवी व लसी देवी, की तामील हेतु कई बार समन जारी किए गए परन्तु इन पर समन हस्व जावता व नियमानुसार न हुई। अब

अदालत को भी विश्वास हो चुका है कि उपरोक्त सभी प्रतिवादियों की तामील साधारण तरीके से करवाना सम्भव नही है।

अतः इस इश्तहार द्वारा सभी प्रतिवादियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी प्रतिवादी को इस तकसीम बारा कोई उजर / एतराज हो तो वह दिनांक 20–6–2008 को असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना उजर व एतराज पेश करें। अन्यथा हाजिर न आने की सूरत में यह समझा जावेगा कि किसी का किसी प्रकार का कोई उजर व एतराज नहीं है तथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

आज दिनांक 15–5–2008 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। राम लच्छ नेगी,
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
उप–तहसील ननखरी, जिला शिमला (हि0 प्र0)।

———————

ब अदालत श्री अश्वनी राज शाह, उप–मण्डल दण्डाधिकारी ठियोग, जिला शिमला (हि0प्र0)

श्री जोगेन्द्र खाची पुत्र श्री केहर सिंह, ग्राम शावग, ग्राम पंचायत देवरीघाट, तहसील ठियोग . .प्रार्थी।

बनाम

आम जनता . . प्रत्यार्थी।

आवेदन–पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री जोगेन्द्र खाची पुत्र श्री केहर सिंह, ग्राम शावग, ग्राम पंचायत देवरीघाट, तहसील ठियोग, जिला शिमला (हि0 प्र0) ने अपने पुत्र सार्थक खाची जिसकी जन्म तिथि 30–10–2004 की है को परिवार रजिस्टर ग्राम पंचायत देवरीघाट में दर्ज करवाने हेतु प्रार्थना–पत्र गुजार रखा है।

अतः इस इश्तहार के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति अथवा रिश्तेदार को कोई एतराज हो तो वह दिनांक 28–6–2008 को प्रातः 10.00 बजे हाजिर अदालत आकर अपना एतराज पेश करे अन्यथा दीगर कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 23–5–2008 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर। अश्वनी राज शाह,
उप–मण्डल दण्डाधिकारी ठियोग,
जिला शिमला (हि0प्र0)।

———————

ब अदालत श्री अश्वनी राज शाह, उप–मण्डल दण्डाधिकारी ठियोग, जिला शिमला (हि0प्र0)

श्री राजेन्द्र सिंह पुत्र श्री शिव राम, ग्राम पालू, ग्राम पंचायत घुण्ड, तहसील ठियोग . .प्रार्थी।

बनाम

आम जनता . . प्रत्यार्थी।

आवेदन–पत्र नाम दरुस्ती बारे।

श्री राजेन्द्र सिंह पुत्र श्री शिव राम, ग्राम पालू, ग्राम पंचायत घुण्ड, तहसील ठियोग, जिला शिमला (हि0 प्र0) अपना नाम राजेन्द्र सिंह से तबदील करके राज मेहता रखना चाहता है। इसलिए राजेन्द्र सिंह का नाम तबदील करके राज मेहता ग्राम पंचायत घुण्ड के पंचायत परिवार रजिस्टर में दर्ज करवाने हेतु प्रार्थना–पत्र गुजार रखा है।

अतः इस इश्तहार के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि इस बारा किसी व्यक्ति अथवा रिश्तेदार को कोई एतराज हो तो वह दिनांक 28–6–2008 को प्रातः 10.00 बजे हाजिर अदालत आकर अपना एतराज पेश करे अन्यथा दीगर कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 23–5–2008 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर। अश्वनी राज शाह,
उप–मण्डल दण्डाधिकारी ठियोग,
जिला शिमला (हि0प्र0)।

———————

ब अदालत श्री अश्वनी राज शाह, उप–मण्डल दण्डाधिकारी ठियोग, जिला शिमला (हि0प्र0)

श्री जगजीत पुत्र स्व0 श्री जगत राम, ग्राम जराई, ग्राम पंचायत कलबोग, तहसील काटखाई . . प्रार्थी।

बनाम

आम जनता . . प्रत्यार्थी।

आवेदन–पत्र नाम दरुस्ती बारे।

श्री जगजीत पुत्र स्व0 श्री जगत राम, ग्राम जराई, ग्राम पंचायत कलबोग, तहसील कोटखाई, जिला शिमला (हि0 प्र0) ने अपने नाम की दुरुस्ती बारे आवेदन–पत्र गुजार रखा है इसलिए निटू की जगह जगजीत रखना चाहता है। अतः परिवार रजिस्टर ग्राम पंचायत कलबोग में निटू की जगह जगजीत रखने बारे आवेदन–पत्र गुजार रखा है।

अतः इस इश्तहार के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि इस बारा किसी व्यक्ति अथवा रिश्तेदार को कोई एतराज हो तो वह दिनांक 28–6–2008 को प्रातः 10.00 बजे हाजिर अदालत आकर अपना एतराज पेश करे अन्यथा दीगर कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 23–5–2008 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर। अश्वनी राज शाह,
उप–मण्डल दण्डाधिकारी ठियोग,
जिला शिमला (हि0प्र0)।

———————

ब अदालत श्री अश्वनी राज शाह, उप–मण्डल दण्डाधिकारी ठियोग, जिला शिमला (हि0प्र0)

श्री मोहन लाल पुत्र स्व0 श्री जगत राम, ग्राम जराई, ग्राम पंचायत कलबोग, तहसील काटखाई
. .प्रार्थी।

बनाम

आम जनता . . प्रत्यार्थी।

आवेदन–पत्र नाम दरुस्ती बारे।

श्री मोहन लाल पुत्र स्व0 श्री जगत राम, गांव जराई, ग्राम पंचायत कलबोग, तहसील कोटखाई, जिला शिमला (हि0 प्र0) अपना नाम निका राम की जगह मोहन लाल रखना चाहता है। इसलिए परिवार रजिस्टर ग्राम पंचायत कलबोग में निका राम से बदल कर मोहन लाल रखने बारे आवेदन–पत्र गुजार रखा है।

अतः इस इश्तहार के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि इस बारा किसी व्यक्ति अथवा रिश्तेदार को कोई एतराज हो तो वह दिनांक 28–6–2008 को प्रातः 10.00 बजे हाजिर अदालत आकर अपना एतराज पेश करे अन्यथा दीगर कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 23–5–2008 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर। अश्वनी राज शाह,
उप–मण्डल दण्डाधिकारी ठियोग,
जिला शिमला (हि0प्र0)।

———————

ब अदालत श्री अश्वनी राज शाह, उप–मण्डल दण्डाधिकारी ठियोग, जिला शिमला (हि0प्र0)

श्रीमती प्रीती देवी पत्नी स्व0 श्री जगत राम, ग्राम जराई, ग्राम पंचायत कलबोग, तहसील काटखाई . . प्रार्थीनी।

बनाम

आम जनता . . प्रत्यार्थी।

आवेदन–पत्र नाम दरुस्ती बारे।

श्रीमती प्रीती देवी पत्नी स्व0 श्री जगत राम, ग्राम जराई, ग्राम पंचायत कलबोग, तहसील कोटखाई, जिला शिमला (हि0 प्र0) ने अपना नाम सरलू देवी से बदल कर प्रीती देवी रखना चाहती है। इसलिए परिवार रजिस्टर ग्राम पंचायत कलबोग में सरलू देवी से बदल कर प्रीती देवी रखने बारे आवेदन–पत्र गुजार रखा है।

अतः इस इश्तहार के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि इस बारा किसी व्यक्ति अथवा रिश्तेदार को कोई एतराज हो तो वह दिनांक 28–6–2008 को प्रातः 10.00 बजे हाजिर अदालत आकर अपना एतराज पेश करे अन्यथा दीगर कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 23–5–2008 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर। अश्वनी राज शाह,
उप–मण्डल दण्डाधिकारी ठियोग,
जिला शिमला (हि0प्र0)।

———————

ब अदालत श्री अश्वनी राज शाह, उप–मण्डल दण्डाधिकारी ठियोग, जिला शिमला (हि0प्र0)

श्री काहन सिंह पुत्र श्री देवी राम, ग्राम हलाई, ग्राम पंचायत सरीवन, तहसील काटखाई . . प्रार्थी।

बनाम

आम जनता . . प्रत्यार्थी।

आवेदन–पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री काहन सिंह पुत्र श्री देवी राम, ग्राम हलाई, ग्राम पंचायत सरीवन, तहसील ठियोग, जिला शिमला (हि0 प्र0) ने अपनी पौतीयां सृष्टि जिसकी जन्म तिथि 13–3–1994 व दृष्टि की जन्म तिथि 23–10–1995 तथा साक्षि की जन्म तिथि 14–4–1999 की है को परिवार रजिस्टर ग्राम पंचायत सरीवन में दर्ज करवाने हेतु आवेदन–पत्र गुजार रखा है।

अतः इस इश्तहार के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि इस बारा किसी व्यक्ति अथवा रिश्तेदार को कोई एतराज हो तो वह दिनांक 28–6–2008 को हाजिर अदालत आकर अपना एतराज पेश करे अन्यथा दीगर कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 23–5–2008 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

अश्वनी राज शाह,
उप–मण्डल दण्डाधिकारी ठियोग,
जिला शिमला (हि0प्र0)।

————————

IN THE COURT OF MARRIAGE OFFICER-CUM-SUB-DIVISIONAL MAGISTRATE, SADAR SUB DIVISION MANDI, DISTRICT MANDI (H. P.)

In the matter of :-

1. Shri Balbinder Singh s/o Shri Amrik Singh, R/166/11, Tarna Road, District Mandi (H. P.).

2. Smt. Tarvinder Kaur d/o Shri Gurmukh Singh, R/o H/N. 16 Vivek Nagar, Jallandhar, Punjab.

. . Applicants.

Versus

General Public.

Subject.—Application for the registration of Marriage under section 3 of Special Marriage Act, 1954.

Shri Balbinder Singh s/o Shri Amrik Singh, R/166/11, Tarna Road, District Mandi (H. P.) and Smt. Tarvinder Kaur d/o Shri Gurmukh Singh, R/o H/N.16 Vivek Nagar, Jallandhar, Punjab have filed an application along with affidavits in the court of undersigned under section 15 of special Marriage Act, 1954 that they have solemnized their marriage on 14-4-2001 at Bhaini Sahib Gurudwara Punjab, according to their ritual and custom and they are living together as husband and wife since then, hence their marriage may be registered under special Marriage Act, 1954.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who have any objection regarding this marriage can file the objection personally or in writing before this court on or before 26-6-2008 after that no objection will be entertained and marriage will be registered.

Issued today on 27th May, 2008 under my hand and seal of the court.

Seal.

Sd/-
Marriage Officer-cum-*S.D.M,*
Sadar, Mandi Sub-Division,
District Mandi (H. P.).

ब अदालत श्री राज कृष्ण ठाकुर, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील पधर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)

निर्मल सिंह पुत्र श्री माधू राम, गांव सिल्हीखड्ड, डाकघर कुफरी, तहसील पधर, जिला मण्डी (हि0 प्र0) . . प्रार्थी।

बनाम

आम जनता . .प्रत्यार्थी।

भू–राजस्व कागजात माल में दरुस्ती करवाने हेतु।

श्री निर्मल सिंह पुत्र श्री माधू राम, गांव सिल्हीखड्ड, डाकघर कुफरी, तहसील पधर, जिला मण्डी (हि0 प्र0) ने शपथी–पत्र सहित इस अदालत में एक प्रार्थना–पत्र गुजारा है जिसमें प्रार्थना की है कि भू–राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी के परिवार के सदस्यों ने गलती से नेक राम दर्ज करवाया है जिससे प्रार्थी को अब असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है जबकि प्रार्थी का वास्तविक नाम निर्मल सिंह है जो कि स्कूल प्रमाण–पत्र व पंचायत रिकार्ड में यही प्रविष्ट है व सत्य व सही है। प्रार्थी ने इस अदालत से यह प्रार्थना की है कि राजस्व विभाग के तमाम राजस्व कागजात में प्रार्थी का नाम निर्मल सिंह उर्फ नेक राम दर्ज करने के लिखित आदेश पारित करने की कृपा करें।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त नाम दरुस्ती बारे कोई एतराज हो तो वह असातलन या वकातलन दिनांक 23–6–2008 को प्रातः 10.00 बजे इस अदालत में पेश होकर अपना एतराज प्रस्तुत करें। उपस्थित न होने की सूरत में एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाकर प्रार्थना–पत्र पर यथोचित आदेश पारित कर दिए जाएंगे। इस इश्तहार की एक प्रति पंचायत भवन व पटवार खाना भवन, व नोटिस बोर्ड पर आम जनता को सूचनार्थ चस्पान की जाए।

आज दिनांक 27–6–2008 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

राज कृष्ण ठाकुर,
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
तहसील पधर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

———————

ब अदालत श्री हरि सिंह ठाकुर, नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील पधर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)

बुद्धि सिंह पुत्र स्व0 श्री मंगत राम, निवासी व डाकघर बरोट, तहसील पधर, जिला मण्डी (हि0 प्र0) . . प्रार्थी।

बनाम

आम जनता . .प्रत्यार्थी।

जेर धारा 37 (2) के अन्तर्गत महाल बरोट के राजस्व अभिलेख में नाम दरुस्ती करवाने बारे।

श्री बुद्धि सिंह पुत्र स्व0 श्री मंगत राम, निवासी गांव व डाकघर बरोट, तहसील पधर, जिला मण्डी (हि0 प्र0) ने शपथी–पत्र सहित इस अदालत में एक प्रार्थना–पत्र गुजारा है जिसमें प्रार्थना की है कि उसके

स्व0 पिता श्री मंगत राम का नाम महाल बरोट के तमाम राजस्व अभिलेख में मंगतू दर्ज है जब कि ग्राम पंचायत बरोट के तमाम रिकार्ड में उसके मृतक पिता का नाम मंगत राम दर्ज है। प्राथी ने इस अदालत से यह प्रार्थना की है कि महाल बरोट, तहसील पधर के तमाम राजस्व अभिलेख में उसके स्व0 पिता का नाम श्री मंगतू राम उर्फ मंगत राम दर्ज करने के लिखित आदेश पारित करने की कृपा करें।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त नाम दरुस्ती बारे कोई एतराज हो तो वह असातलन या वकातलन दिनांक 30–6–2008 को प्रातः 10.00 बजे इस अदालत में पेश होकर अपना एतराज प्रस्तुत करें। उपस्थित न होने की सूरत में एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाकर प्रार्थना–पत्र पर यथोचित आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 26–5–2008 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। हरि सिंह ठाकुर,
नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता,
द्वितीय श्रेणी, तहसील पधर,
जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

————————

ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, जिला ऊना (हि0 प्र0)

मुकद्दमा नम्बर : जन्म / मृत्यु प्रमाण–पत्र।

श्री बलवीर सिंह बनाम आम जनता

दरख्वास्त जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

नोटिस बनाम आम जनता।

श्री बलवीर सिंह पुत्र श्री चरन सिंह, निवासी गांव सनोली, तहसील व जिला ऊना ने इस न्यायालय में दरख्वास्त दी है कि उसका पुत्र कृष्ण सिंह का नाम पंचायत रजिस्टर में गलती से दर्ज न करवाया जा सका है और अब दर्ज करवाया जावे उसके पुत्र का नाम कृष्ण सिंह है और जन्म तिथि 2–3–1989 है तथा बच्चे का जन्म स्थान सनोली है।

अतः इस नोटिस के माध्यम से समस्त जनता तथा सम्बन्धी रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त बच्चे का नाम दर्ज होने में कोई अग्र / एतराज हो तो वह दिनांक 30–6–2008 को प्रातः 10.00 बजे स्वयं अथवा असालतन या वकालतन इस अदालत में हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर प्रमाण–पत्र जारी करने के आदेश दे दिये जायेंगे।

आज दिनांक 26–5–2008 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित / –
नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
ऊना, जिला ऊना (हि0 प्र0)।

————————

ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, जिला ऊना (हि0 प्र0)

मुकद्दमा नम्बर : जन्म / मृत्यु प्रमाण–पत्र।

श्री यश पाल बनाम आम जनता

दरख्वास्त जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

नोटिस बनाम आम जनता।

श्री यश पाल पुत्र श्री केहर सिंह, निवासी गांव कुठार कलां, तहसील व जिला ऊना ने इस न्यायालय में दरख्वास्त दी है कि उसके पुत्र सोरभ कुमार का नाम पंचायत रजिस्टर में गलती से दर्ज न करवाया जा सका है और अब दर्ज करवाया जावे उसके पुत्र का नाम सोरभ सिंह है और जन्म तिथि 2–2–2002 तथा बच्चे का जन्म स्थान कुठार कलां है।

अतः इस नोटिस के माध्यम से समस्त जनता तथा सम्बन्धी रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त बच्चे का नाम दर्ज होने में कोई अग्र / एतराज हो तो वह दिनांक 26–6–2008 को प्राप्तः 10.00 बजे स्वयं अथवा असालतन या वकालतन इस अदालत में हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर प्रमाण–पत्र जारी करने के आदेश दे दिये जायेंगे।

आज दिनांक 15–5–2008 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित / –
नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
ऊना, जिला ऊना (हि0 प्र0)।

LABOUR & EMPLOYMENT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 7th June, 2008

No: Shram (A) 6-4/2008(Arbitration).— In exercise of powers vested in him under Sub Section 2 & 3 of Section 10(A) of the Industrial disputes Act, 1947, and Rules 7, 8 & 9 of Industrial Dispute Rules 1974 the Governor, Himachal Pradesh is pleased to order the publication of Form"C" (See rule 7) AGREEMENT on the issue of dispute between "Kol Dam Worker's Union, Kayan, Distt. Mandi and M/S Italian-Thai Development Public Company Ltd." on the website of Labour & Employment Department is as under:-

FORM- "C"

(See Rule 7) AGREEMENT

(Under section 10-A of the Industrial Disputes Act, 1947) between

Name of Parties:1.Koldam Worker's Union(CITU), 2 ITD Public Co. Ltd.; NTPC Ltd.& others Representing Employers: Mr. Hemraj Sharma, ITDPCL & Mr Surender Pal, NTPC Ltd. Representing Workmen: Mr Santosh Kumar, Rajesh Kumar, Ravinder Kumar, Suresh Kumar.

It is hereby agreed between the parties, to refer the following industrial disputes to the arbitration of Shri B.S.Chauhan , District & Session Judge(Retd.)

(vi) Specify matters in dispute:- As per Memorandum of Settlement

(vii) Detail of the parties to the dispute including the name of the establishment or undertaking involved:- As per Memorandum of settlement

(viii) Name of the union, if any, representing the workmen in question:- Koldam Workers Union(CITU)

(ix) (Total number of workmen employed in the undertaking affected:- about 193 Nos

(x) Estimated number of workmen affected or likely to be affected by the dispute: about 1600 Nos

The majority decision of the arbitrators shall be binding on us.

The arbitrator(s) shall make his (their) award as per the Memorandum of settlement within a period of 45 days from the date of Publication of extension and further may be extended during proceeding with consent of the parties concerned.(here specify the period agreed upon by the parties) or within such further time as is extended by mutual agreement between us in writing In case the award is not made as per Memorandum of Settlement and extension period, the reference to arbitration shall stand automatically cancelled and we shall be free to negotiate for fresh arbitration.

Signature of parties

Representing employer: Sd/-

Representing workmen Sd/-

Witness: Sd/-

Copy to:-

1. The Conciliation officer of the area concerned

2. The Labour Commissioner, Himachal Pradesh, Shimla

3. The A.C.S. (L&E) to the Government of Himachal Pradesh.

4. Genral Manager, N.T.P.C. Koldam Barmana, Distt. Bilaspur.

By order,

Sd/-

Additional Chief Secretary.

लोक निर्माण विभाग

अधिसूचनाएं

शिमला–2, 29 मई, 2008

संख्याःपी.बी.डब्लयू(बी)एफ;(5)61 / 2008.– यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामत गांव कुठियाडी, तहसील अम्ब, जिला ऊना में मैहतपुर–ऊना–अम्ब सडक़ के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद् द्वारा यह अधिसुचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है, उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को, जो इससे सम्बन्धित हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भू–अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा–4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने तथा उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः अन्य सभी कार्यो को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।

4. कोई भी हितबद्व व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के तीस(30) दिन की अवधि के भीतर लिखित रुप में भू–अर्जन समाहर्ता लोक निर्माण विभाग कांगडा के समक्ष अपनी आपत्ति दायर कर सकता है।

विवरणी

जिला	तहसील	गांव	खसरा नम्बर	क्षेत्र (है0 में)
ऊना	अम्ब	कुठियाडी	1547	0–6–62
			1549	0–0–35
			1551	0–10–09
			2227	0–05–82
			2228	0–0–92
			2229	0–03–26
			2230	0–07–56
			5538 / 2231	0–00–30
			5539 / 2231	0–57–27
			2270	0–01–54
			2271	0–02–66
			2273	0–02–73
			2274	0–04–20
			2276	0–02–95
			2280	0–02–97

			2282	0–08–43
			2281	0–00–24
			2300	0–00–84
			2301	0–00–35
			2303	0–00–18
			2304	0–06–24
			2305	0–02–95
			1354	0–11–77
			1362	0–05–82
			1366	0–00–95
			1531	0–00–57
			1532	0–07–17
			1535	0–02–19
			1536	0–02–24
			1537	0–00–94
			1364	0–07–78
			1538	0–02–56
			1539	0–05–19
			2314	0–01–71
			2315	0–02–10
			2316	0–03–29
			2317	0–03–24
			2318	0–02–32
			2319	0–01–60
			2320	0–01–50
			2321	0–01–50
			2471	0–09–81
			2487	0–07–60
			2488	0–00–71
			2490	0–37–70
			2491	0–02–32
			2492	0–01–50
			2493	0–06–60
			1241	0–00–44
			1344	0–00–40
			5542 / 2974	0–01–09
			5543 / 2974	0–01–54
			2976	0–00–56
			2977	0–01–43
			2978	0–14–72

			2979	0–00–58
			1530	0–14–25
			1548	0–01–26
		कुल जोड	किता 58	2–95–42

शिमला–2 29–5–2008

संख्याःपी.बी.डब्लयू(बी)एफ;(5)65 / 2007.– यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामत गांव मंगरोली, तहसील बडसर, जिला हमीरपुर में ऊना–अग्धार–मण्डी उच्च मार्ग के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद् द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है, उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को, जो इससे सम्बन्धित हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भू–अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा–4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने तथा उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः अन्य सभी कार्यो को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।

4. कोई भी हितबद्व व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के तीस(30) दिन की अवधि के भीतर लिखित रुप में भू–अर्जन समाहर्ता लोक निर्माण विभाग मण्डी के समक्ष अपनी आपत्ति दायर कर सकता है।

विवरणी

जिला	तहसील	गांव	खसरा नम्बर	क्षेत्र (है0 में)
हमीरपुर	बडसर	मंगरोली	47	0–01–55
			152	0–15–39
			153	0–00–32
			159	0–00–80
		कुल जोड	किता 4	0–18–06

शिमला–2, 29 मई, 2008

संख्याःपी.बी.डब्लयू(बी)ए0;(7)1–107 / 2006.– यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामत गांव जाहु खुर्द, तहसील भोरंज, जिला हमीरपुर में ऊना–अग्धार–मण्डी उच्च मार्ग के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद् द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है, उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को, जो इससे सम्बन्धित हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भू–अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा–4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने तथा उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः अन्य सभी कार्यो को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।

4. कोई भी हितबद्व व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के तीस(30) दिन की अवधि क भीतर लिखित रुप में भू–अर्जन समाहर्ता लोक निर्माण विभाग मण्डी के समक्ष अपनी आपत्ति दायर कर सकता है।

विवरणी

जिला	तहसील	गांव	खसरा नम्बर	क्षेत्र(कनाल मरले में)
हमीरपुर	भोरंज	जाहु खुर्द	1633 / 1690 / 1390 / 1	0–1
			1602 / 1393	0–1
			1528 / 1	0–0–3
		कुल जोड	किता 3	0–2–3

शिमला–2, 29 मई, 2008

संख्याःपी.बी.डब्लयू(बी)ए;(7)1–97 / 2006.– यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामत गांव धनसूई, तहसील बडसर, जिला हमीरपुर में ऊना–अग्धार–मण्डी उच्च मार्ग के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद् द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है, उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को, जो इससे सम्बन्धित हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भू–अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा–4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने तथा उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः अन्य सभी कार्यो को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।

4. कोई भी हितबद्व व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के तीस(30) दिन की अवधि के भीतर लिखित रुप में भू–अर्जन समाहर्ता लोक निर्माण विभाग मण्डी के समक्ष अपनी आपत्ति दायर कर सकता है।

विवरणी

जिला	तहसील	गांव	खसरा नम्बर	क्षेत्र (है0 में)
हमीरपुर	बडसर	धनसूई	712	0–02–45
		कुल	किता 1	0–02–45

शिमला–2, 29 मई, 2008

संख्याः पी.बी.डब्लयू(बी)एफ;(5)69 / 2008.– यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामत गांव वौल, तहसील बंगाणा, जिला ऊना में ऊना–अग्धार–मण्डी उच्च मार्ग के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद् द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है, उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को, जो इससे सम्बन्धित हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भू–अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा–4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने तथा उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः अन्य सभी कार्यो को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।

4. कोई भी हितबद्व व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के तीस(30) दिन की अवधि के भीतर लिखित रुप में भू–अर्जन समाहर्ता लोक निर्माण विभाग कांगडा के समक्ष अपनी आपत्ति दायर कर सकता है।

विवरणी

जिला	तहसील	गांव	खसरा नम्बर	क्षेत्र (है0 में)
ऊना	बंगाणा	वौल	724 / 1	0–00–45
			725 / 1	0–00–76
			727	0–00–21
			728	0–00–28
			729 / 1	0–00–15
			734 / 1	0–00–27
			735	0–00–52
			736	0–00–14
			737	0–00–43
			1458 / 1	0–02–30
			2146 / 1	0–00–58
			2149 / 1	0–00–28
			2938 / 1	0–00–06
		कुल जोड	किता 13	0–06–43

शिमला–2, 28 मई, 2008

संख्याः पी.बी.डब्लयू(बी)ए;(7)1–54 / 2006.– यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामत गांव समोह व हार, तहसील बडसर, जिला हमीरपुर में ऊना–अग्धार–मण्डी उच्च मार्ग के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद् द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है, उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को, जो इससे सम्बन्धित हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भू–अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा–4 के उपबन्धों क अन्तर्गत जारी की जाती है।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने तथा उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः अन्य सभी कार्यो को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।

4. कोई भी हितबद्व व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के तीस(30) दिन की अवधि के भीतर लिखित रुप में भू–अर्जन समाहर्ता लोक निर्माण विभाग मण्डी के समक्ष अपनी आपत्ति दायर कर सकता है।

विवरणी

जिला	तहसील	गांव	खसरा नम्बर	क्षेत्र (बीघे–विस्वा में)
हमीरपुर	बडसर	समोह	259	0–15–21
			267	0–04–45
			271	0–01–30
			746	0–03–95
			747	0–07–34
			कुल किता 5	0–32–25
हमीरपुर	बडसर	हार	324	0–01–32
			325	0–01–20
			420	0–09–16
			850	0–01–90
			852	0–00–95
			853	0–01–26
			854	0–00–86
			969	0–13–85
			422	0–08–22
			1033	0–21–12
			1043	0–08–16
			1039	0–06–90
			1045	0–10–75
			1079	0–02–37
			1080	0–00–57
			1081	0–03–85
			1078	0–05–80
			1114	0–15–33
			1182	0–21–07
			कुल किता 19	1–34–64

शिमला–2, 29 मई, 2008

संख्याः पी.बी.डब्लयू(बी)एफ;(5) 60 / 2008.– यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामत गांव कटोहड खुर्द, तहसील अम्ब, जिला ऊना में ऊना–अग्धार–मण्डी उच्च मार्ग के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद् द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है, उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को, जो इससे सम्बन्धित हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भू–अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा–4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने तथा उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः अन्य सभी कार्यो को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।

4. कोई भी हितबद्व व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के तीस(30) दिन की अवधि के भीतर लिखित रुप में भू–अर्जन समाहर्ता लोक निर्माण विभाग कांगडा के समक्ष अपनी आपत्ति दायर कर सकता है।

विवरणी

जिला	तहसील	गांव	खसरा नम्बर	क्षेत्र(है0में)
ऊना	अम्ब	कटोहड खुर्द	553	0–1–44
			554	0–00–60
			556	0–05–46
			557	0–04–20
			558	0–04–51
			3093 / 559	0–04–80
			3092 / 559	0–04–92
			3091 / 559	0–09–88
			3090 / 559	0–10–10
			153	0–19–07
			154	0–15–23
			155	0–31–08
			157	0–58–48
			159	0–02–11
			3048 / 160	0–01–90
			3049 / 160	0–13–84
			571	0–24–85
			576	0–76–20
		कुल जोड	किता 18	2–88–67

शिमला–2, 29 मई, 2008

संख्याः पी.बी.डब्लयू(बी)एफ;(5)68 / 2008.– यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामत गांव समूर कलॉ अब्बल, तहसील ऊना, जिला ऊना में ऊना–अग्धार–मण्डी उच्च मार्ग के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद् द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है, उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को, जो इससे सम्बन्धित हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भू–अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा–4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने तथा उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः अन्य सभी कार्यो को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।

4. कोई भी हितबद्व व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के तीस(30) दिन की अवधि के भीतर लिखित रुप में भू–अर्जन समाहर्ता लोक निर्माण विभाग कांगडा के समक्ष अपनी आपत्ति दायर कर सकता है।

विवरणी

जिला	तहसील	गांव	खसरा नम्बर	क्षेत्र (है0 में)
ऊना	ऊना	समूर कलॉ अब्बल	770 / 1	0–00–15
			771 / 1	0–01–14
			772 / 1	0–00–36
			778 / 1	0–00–22
			1284 / 1	0–00–92
			1285 / 1	0–01–32
			1286 / 1	0–01–84
			1917 / 1297 / 1	0–00–73
			1918 / 1297 / 1	0–00–08
		कुल जोड	किता 9	0–06–76

शिमला–2, 28 मई, 2008

शुद्धि पत्र

सं0पी0बी0डब्ल्यू0(बी0)एफ0–(7)1–126 / 2005.– इस विभाग द्वारा जारी समसंख्यक अधिसूचना धारा–4 दिनांक 13–3–2008 (उप महाल शेनानदेन, तहसील सांगला, जिला किन्नौर) में खसरा न0 477 / 1 रकबा तदादी 0–00–19 हैक्टयर के स्थान पर खसरा न0 477 / 1 रकबा तदादी 0–00–90 हैक्टयर पढा जाये।

शिमला–2, 29 मई, 2008

संख्याःपी.बी.डब्लयू(बी)एफ(5)141 / 2007.– यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामत गांव खुथडी, तहसील भोरज, जिला हमीरपुर में ऊना–अग्धार–मण्डी उच्च मार्ग के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद् द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है, उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को, जो इससे सम्बन्धित हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भू–अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा–4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने तथा उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः अन्य सभी कार्यो को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।

4. कोई भी हितबद्व व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के तीस(30) दिन की अवधि के भीतर लिखित रुप में भू–अर्जन समाहर्ता लोक निर्माण विभाग मण्डी के समक्ष अपनी आपत्ति दायर कर सकता है।

विवरणी

जिला	तहसील	गांव	खसरा नम्बर	क्षेत्र (है0 में)
हमीरपुर	भोरंज	खुथडी	1903 / 1843 / 1656 / 1	0–3
			1904 / 1843	0–5
			1905 / 1843 / 1	0–11
		कुल	किता 3	0–19

आदेश द्वारा,
हस्ता / –
सचिव।

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला–5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित